डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): मैं भी स्पेशल मेंशन का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि गये सालों में जो यात्री जाने वाले थे उनको बम्बई में बड़ी दिक्कत आयी थी और उनको नाहक काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था और अभी से इस बारे में थोड़ी सी सतर्कता बरती जाय, इंतजामात माकूल किये जायें जिससे जाने वाले यात्रियों को दिक्कत न आये।

Drinking Water Problem in Bhopal

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, दो और तीन दिसम्बर, 84 की दरमियानी रात भोपाल शहर को गैस पीड़ितों का शहर बना गयी। दुख की बात है कि वह शहर आज भी गैस पीड़ितों का शहर बना हुआ है। आज भी औसतन वहां एक व्यक्ति की मृत्यु गैस के जो आफ़टर एफ़ैक्ट्स हैं उसकी वजह से हो रही है। दुख की बात यह है कि जहां इस एफ़ैक्ट्स को दूर करने के लिये उचित उपाय सरकार के द्वारा किये जाने चाहिये थे वहां इस सरकार ने मात्र दो सौ रुपये महीने देकर गैस पीड़ितों के सारे दुखदर्द दूर कर दिये हैं, ऐसा यह सरकार शायद मानने लगी है।

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश): श्री सुरेन्द्र सिंह की सरकार तो पांच साल में कुछ नहीं दे सकी, इस सरकार ने तो 200 रु० दिये हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : श्री सारंग नये सदस्य आये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी सरकार की ही बात कर रहा हूं। आपकी सरकार ने 200 रु० दिये हैं। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा दर्द यह है कि ये दो सौ रुपये देकर आपने समझ लिया है कि सारा दुख दर्द दूर हो गया है गैस पीड़ितों का। लेकिन ऐसी बात नहीं है ... (**व्यवधान**) मेरा दर्द यह है कि वैज्ञानिकों ने गैस रिसाव के बाद यह मत व्यक्त किया था कि इससे गम्भीर, जटिल, विकृत और दूरगामी समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। इससे जल, भूमि, हवा एवं मानव जीवन पर तथा अन्य स्थलीय और जलीय, टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक स्कीमों पर दुष्प्रभाव पड़ा है। यह वैज्ञानिकों ने जो मत जाहिर किया है उसी को मैं उद्धृत कर रहा हूं। इस अनुसार आवश्यकता इस बात की थी कि भोपाल के गैस पीड़ितों को साफ़, सुथरा और उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाय। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले सेशन में मैंने एक प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी का नाम मैं नहीं बताता हूं, उन्होंने कहा कि मैं तो मकानों का मंत्री हूं, पानी से मेरा संबंध नहीं है धोखे से यह सवाल मेरे पास आ गया है। वे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयारी भी करके नहीं आये थे। जब मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई उचित मात्रा में की जा रही है। यह बात बिल्कुल मिथ्या थी। चूंकि प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया था। फ़िर भी उत्तर में उन्होंने यह बात कही। उनका उत्तर बिलकुल असत्य था। जहां भोपाल को 29 एम० जी०डी० प्रति दिन पानी की आवश्यकता होती है वहां केवल 22 एम०जी०डी० दिया जा रहा था। यह भी 15 दिन पहले की बात है। अब तो उसकी मात्रा और भी कम हो गई है। भोपाल के लिए पानी का प्रबन्ध भोपाल के बड़े तालाब से किया जाता है और उसकी कमी हो जाती है तो कोलार और केरवा डेम से पानी की सप्लाई की जाती है। सारंग जी भी अगर सत्य बात को मानेंगे तो उनको पता होगा कि इस पानी में बदबू आती है। इस प्रकार का पानी गैस पीड़ितों को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे साफ़ पानी की बात करते हैं। आवश्यकता तो इस की थी कि सरकार यह कहती कि हम पानी को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गंदा पानी लोगों को दिया जा रहा है जिसका इफ़ेक्ट गैस पीड़ितों पर बढ़ता जा रहा है। इस स्पेशल मेंशन के माध्यम से मेरी

[श्री सरेन्द्र सिंह ठाकुर]

सरकार से यह मांग है कि भोपाल के गैस पीड़ितों को साफ, सुथरा और उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाय। इसका एक मात्र हल नर्मदा का जल भोपाल के लिए लाने की आवश्यकता है। यह सरकार ने अगर एक निश्चित समय सीमा के अन्दर नर्मदा का जल उपलब्ध नहीं कराया तो हम इस हेतु आन्दोलन करने को मजबूर होंगे, यह इतिला मैं इस सरकार को देना चाहता हं। धन्यवाद

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTHI NATARAJAN): Now we will take up the Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1989 and the Commissions of Inquiry-Amendment) Bill, 1990 and then the Minister will make a statement on the Kashmir situation... *(Interruptions)...* We have to finish the work and the Kashmir statement can be taken up later; otherwise the work cannot be completed... *(Interruptions)...* You cannot take up anything else.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): It is not the order of the day. You only announced from the Chair... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRjMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): It is not the order of the day, but it is the order of business.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: No, you withdraw the statement. You have to go by the order of the day. You only announced and it was agreed to by the Ministe'r after the Special Mention.

THE VICE-CHAIRJMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am not bound by what the Minister is saying or what somebody else is saying. I have to go by the rules, The work has to go. The work of the House has to be completed and it is important that these Bills are passed ' ... *XInterruptions)...*

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I fully agree. But if you change the order of business, then you should withdraw the earlier statement... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You should consider what you are saying. The>re is no question of the Chair withdrawing any statement. 1 will go by what the House agrees upon. This will take a few minutes only, the Criminal Law Amendment (Amending) Bill and then we will take up the Kashmir issue as soon as the work of the House is over.

Let us now take up the Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1989. There is no discussion on this.

CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDING) BILL, 1989.

THE MINISTER OF HOME APFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED): Madam, I beg to move:

"That the following amendments made by the Lok Sabha in the Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1989, be taken into consideration, namely: —

Enacping Formula

1. That at Page 1, line 1, -Hf*or* 'Fortieth' substitute 'Forty-first'.

Clause 1

2. That at Page 1, line 4, —for '1989' substitute '1990'. "

'Tfye *question was put and the motion was adopted.*

SHRI (MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Madam, I beg to move:

"That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed **to.** "

The question was put and the motion was adopted.